क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल



जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाडमेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

राराप्रनिम / क्षे.का. / बालोतरा / LabEstt. / 2519

दिनांकः १५)११ २०२२

बोली आमंत्रण सूचना 03/2022-23

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा की क्षेत्रीय प्रयोगशाला में NAMP संचालन हेतु एक वर्ष के लिये दर संविदा के माध्यम से Chemicals/Lab wares/Glassware & General Articles items की आपूर्ति करने हेतु इस प्रकार के रसायन / वस्तुओं की सामग्री के बोनाफाईड विनिर्माता / थोक विक्रेता / अधिकृत डीलर / अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स से डबल कवर सिस्टम के अन्तर्गत मुहरबन्द बोलिया निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैं:—

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	बोली प्रतिभूति राशि (रु.)	बोली प्रपत्र शुल्क (रु.)	बोली प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि व समय	बोली खोलने की तिथि व समय
1.	क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा की क्षेत्रीय प्रयोगशाला में NAMP संचालन हेतु एक वर्ष के लिये दर संविदा के माध्यम से Chemicals/Lab wares/Glassware & General Articles items की आपूर्ति	2,00,000/-	4,000/-	500/-	21.11.2022 को सायं 06.00 बजे तक	1 ,

नोट:-

1. बोली प्रपत्र तथा अन्य विस्तृत विवरण / शर्ते वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.in से तथा विभागीय वेबसाईट http://environment.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है अथवा निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क बैंकर चैक / डीडी के माध्यम से सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंण्डल (पेयेबल एट बालोतरा) के नाम से इस कार्यालय में जमा कर प्राप्त किये जा सकते है। बोली प्रपत्र शुल्क नॉन रिफण्डेबल है।

2. किसी भी वाद हेतु स्थानीय न्यायालय कार्यक्षेत्र होगा।

 सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 प्रवं नियम 2013 (यथा संशोधित) में वर्णित प्रावधानानुसार होगी।

क्षेत्रीय अधिक बालोतरा

दिनांकः 14/11/2022

राराप्रनिम / क्षे.का. / बालोतरा / LabEstt. / 2515 - 2519

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. एसीपी, राराप्रनिमं, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर उक्त NIB के सादर प्रकाशनार्थ।

2. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय एवं समस्य क्षेत्रीय कार्यालय, राराप्रनिम।

3. रक्षित पत्रावली।

क्षेत्रीय अधिकारी

NIB 03/2022-23

क्षेत्रीं स्टब्स्य क्षेत्री राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल यातीत्र

Page 1 of

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर



Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः दि. 21.11.2022 को सायं 06.00 बजे तक बोली खोलने की तिथि : दि. 22.11.2022 को दोपहर 03.00 बजे

बोली प्रपत्र शुल्क-रु. 500

बोली प्रपत्र—NAMP संचालन हेतु Chemicals/Lab wares/Glassware & General Articles का उपापन NIB 03/2022-23

		प्रपत्र	त्र—अ तकनीकी	बोली			
1.	संदर्भ – क्षेत्रीय	। अधिकारी, RSPCB	बालोतरा का प	त्रांक र्रि	देनांक		
2.	बोलीदाता का	नाम ः					
3.	डाक का पता	:					
4.	फोन / मोबाईल	नं. :					
5.	ई-मेल पता	:					
6.	बैंक का नाम	;					
	IFSC Code	:					
	खाता संख्या						
7.	किसको संबोधि	वेत किया गया है:	क्षेत्रीय अधिकार	ो, राजस्थान	। राज्य प्र	ादूषण नियंत्रप	ग मण्डल,
	बालोतरा।						
8.		न्क की राशि रू 500 वैंकर चैक/डी०डी०					
क्र.सं	. संख्या	जारी दिनांक	जारी कर्ता	बैंक एवं शा	खा का न	ाम राइ	ो रू०
9.	Balotra के प	ार बोली प्रतिभूति (ध क्ष में Payable at सका विवरण निम्न	Balotra का बैंव	े रूप में रार्ग जर चैक/डि	शे Regio माण्ड ड्राप	onal officer, मट बोली प्रपन्न	RSPCB, के साथ
क्र.स		जारी दिनांक		बैंक एवं शा	खा का न	ाम राहि	ा रू०
10.		। । निम्नलिखित पंजी गोकरण प्रमाण पत्रों					
	<u>क्र.</u>	विवरण		रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण	संलग्नक
		ना के बोनाफाईड	विनिर्माता / थोक			दिनांक	क्रमांक
		/अधिकृत गुटर्स होने का प्रमुणा	डीलर/अधिकृत				
	I I G (X I M	COLI CITI ANI MILITI	171				

NIB 03/2022-23

Page 2 of



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
2.	फर्म का प्रकार (पब्लिक लिमिटेड / प्राईवेट लिमिटेड / पार्टनरिषप / प्रोपराईटरिशप)				
3.	संलग्नक ए, बी, सी एवं डी	_	-	-	
4.	संलग्नक ई (रु. 50 के स्टॉम्प पर)	-	-	-	
5.	संलग्नक एफ (वित्तीय घोषणा)	_	_	-	
6.	संलग्नक जी (FALL CLAUSE)	_	-	-	100
7.	संलग्नक एच	_	-	-	
8.	संलग्नक आई		-	-	
9.	संलग्नक जे	-	_	_	

11. मैं / हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, बालोतरा द्वारा जारी की गयी बोली आमन्त्रण सूचना 01 / 2022—23 तथा बोली दस्तावेजों में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इसके साक्ष्य में बोली आमंत्रण सूचना तथा बोली दस्तावेजों के समस्त पृष्ठों पर मैनें / हमनें मुहर के साथ हस्ताक्षर कर दिये है।

12. बोली दस्तावेजों में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर नाम मय सील

द्वित्रींच अर्घट कारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

NAMP संचालन हेत् Chemicals/Lab wares/Glassware & General Articles का उपापन NIB 03/2022-23

प्रपत्र-ब वित्तीय बोली

Details of Required CHEMICALS-

S.No.	Name of Articles	Specification	Supply Unit	Discount Percentage on Price list (FOR)	Remark
1	As per enclosed list	AR/GR	As per requirement		Preferably Merck, Thermofisher, Qualigens, Rankem

Details of Required GLASSWARE and other ITEMS-

S.No.	Name of Articles	Specification	Supply Unit	Discount Percentage on Price list (FOR)	Remark
1	As per enclosed list	Class A, Calibration Certificates, at 25° C temp. for glasswares and general items confirming to LDPE & HDPE grade.	As per requirement		Preferably Borosil, Borosilicate, Glassco, Tarson, Polylat Riveria.



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

NAMP हेतु Chemicals/Lab wares/Glassware & General Articles का उपापन NIB 03/2022-23 List of Chemicals Required to be used for Sulphur Dioxide and Nitrogen Oxides used under NAMP

Parameter	Name of Chemicals	Grade	Pack Size
Nitrogen	Sodium Hydroxide	AR/GR	500 gm
Oxide	Sodium Arsenite	AR/GR	250 gm
	Sulphanilamide (Melting Point 165-167° C)	AR/GR	500 gm
	Neda	AR/GR	25 gm
	Hydrogen Peroxide 30%	AR/GR	500 ml
	Phosphoric Acid 85%	AR/GR	500 ml
	Sodium Nitrite (97 % Or Greater)	AR/GR	500 gm
Sulphur	Mercuric Chloride	AR/GR	100 gm
Dioxide	Sodium Chloride	AR/GR	500 gm
	EDTA Disodium Salt	AR/GR	500 gm
	SuplhamicAcid	AR/GR	500 mg
	Formaldeyde	AR/GR	500 ml
	Pararosaniline Chloride	AR/GR	25 gm
	Hydrochloric Acid	AR/GR	2.5 ltr.
	lodine	AR/GR	100 gm
	Potassium Iodine	AR/GR	500 gm
	Starch Soluble	AR/GR	500 gm
	Potassium Iodate	AR/GR	100 gm
	Sodium Thiosulphate Pentahydrate	AR/GR	500 gm
	Sodium Carbonate	AR/GR	500 gm
	Sodium Metabisulphite	AR/GR	500 gm

List of Glasswares Required

Sr. No.	Name of Items	Capacity (ml/mm)
1.	Flasks Volumetricwith Interchangeable Glass Stopper, Class A	25 ml
2.	Flasks Volumetric with Interchangeable Glass Stopper, Class A	50 ml
3.	Nessler tube with graduation (Borosil)	50 ml
4.	Nessler tube with graduation (Borosil)	100 ml
5.	Flasks Volumetric with Interchangeable Glass Stopper, Class A	250 ml
6.	Flasks Volumetric with Interchangeable Glass Stopper, Class A	500 ml
7.	Flasks Volumetric with Interchangeable Glass Stopper, Class A	1000 ml
8.	Pipettes (Volumetric), Graduated, Schellbach, (Seriological type) Class AS Graduation division 0.01 ml with Calibration Certificate	1 ml
9.	Pipettes (Volumetric), Graduated, Schellbach, (Seriological type) Class AS Graduation division 0.01 ml with Calibration Certificate	2 ml
10.	Pipettes, Graduated, Schellbach, (Seriological type) Class AS Graduation division 0.01 ml with Calibration Certificate	10 ml
11.	Pipettes, Graduated, Schellbach, (Seriological type) Class AS Graduation division 0.01 ml with Calibration Certificate	50 ml
12.	Reagent Bottles, Plain clear Glass Graduated with Screw Cap	500 ml
13.	Reagent Bottles, Plain clear Glass Graduated with Screw Cap	1000 ml
14.	Bottles, Amber Glass Graduated with Screw Caps Cap	500 ml
15.	Bottles, Amber Glass Graduated with Screw Caps Cap	1000 ml
16.	Impinger	35 ml
17.	Spectropphotometer Quartz Cuvettes	0.5 ml

NIB 03/2022-23



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

List of General Items Requirement

Sr. No.	Name of Items
1.	Pipette Aid Sucker 10 ml
2.	Bottle top Dispenser 1-10 ml
3.	Forcep 200 mm
4.	Spatula (S & L Size)
5.	Wash Bottles (500ml)
6.	Coolling Box (Small)
7.	Nessler tube Stand having capacity 50 ml & 100 ml tubes
8.	Silical Gel (in Gel type)
9.	Pipette Stand vertical (28 Pipettes)
10.	Narrow mount bottle (Medical Grade LDPE Confirming to USP Class VI) (60 ml)
11.	Amber Narrow mount bottle (Medical Grade HDPE Confirming to USP Class VI) (60 ml)
12.	Narrow mount bottle (Medical Grade LDPE Confirming to USP Class VI) (500 ml)
13.	Amber Narrow mount bottle (Medical Grade HDPE Confirming to USP Class VI) (500 ml
14.	Injection (10)
15.	Extension cord with power plug
16.	Cloth for cleaning machine
17.	RDS Cover
18.	Apron
19.	Test tube cleaner brush
20.	First Aid Kit
21.	Labelling Tape (Cryo Tags)
22.	Markers
23.	Tissue Roll
24.	Liquid Glassware Cleaner
25.	Hand Towels
26.	Normal Filter Paper
27.	Register
28.	Data Sheet File
29.	Filter Paper envelop (for PM 2.5)
30.	Filter Paper envelop (for MP 10)
31.	Screw Kit
32.	Gloves (L Size)
33.	Aluminum foil

राजस्थान सन्य प्रदूषण निर्मत्रण मण्डल बालोतरा



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

NAMP संचालन हेतु Chemicals/Lab wares/Glassware & General Articles का उपापन NIB 03/2022-23

General Terms & Conditions of Bid & Contract:

- Important Instruction:- The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 and The Rajasthan Transparency in Public procurement Rules, 2013 under the said Act are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.rajasthan.gov.in. Therefore the bidders are advised to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.
- 2. बोली आमंत्रण सूचना तथा बोली दस्तावेजों में किसी बात के होते हुए भी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपन्न, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी होंगे।
- 3. दर्शायी गयी दरें बोली अनुमोदित होने पर बोलीदाता को आदेश की दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगी जो कि दोनो पक्षों की सहमति से बोली में वर्णित शर्तों के अध्यधीन बढ़ायी जा सकेगी।
- 4. बोलिया केवल बोनाफाईड विनिर्माता/प्राधिकृत थोक विक्रेता/ प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स ही प्रस्तुत कर सकेंगे। बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/अधिकृत डीलर को इस हेतु मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 5. रसायन सामग्री हेतु दरें सलंग्न प्रपन्न '2' में कम्पनी द्वारा अंकित करें एवं फर्म द्वारा दी जाने वाले Discount Percentage With FOR को स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। अनुसूची प्रपन्न को बोली के साथ सलंग्न करे। Make/Manufacturer का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जावे।
- 6. प्रस्तुत छूट का कुल प्रतिशत निर्माता/डिलर द्वारा किसी भी राज्य सरकार/विभाग को दी जाने वाली छूट से कम नहीं होगा एवं क्षेत्रीय कार्यालय को भी निर्माता/डीलर द्वारा समान अधिकतम छूट दरें प्रस्तुत की जावेगी। किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि निर्माता/डीलर द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को कम छूट दर प्रस्तुत की गई है तो अन्तर राशि की सम्बन्धित फर्म से वसूली की जावेगी।
- 7. बोलिया राजस्थान में जीएसटी अधिनियम / बिक्री कर के अतंर्गत पंजीकृत फर्मो द्वारा ही दी जावें, अपंजीकृत फर्मो की बोलिया अस्वीकार्य होगी।
- 8. बोलीदाता जो दरें भरे, उसमें जीएसटी का उल्लेख पृथक रूप से किया जाना आवश्यक है अन्यथा दरें जीएसटी सहित मानी जायेगी। बोली में अंकित दर के अतिरिक्त अन्य कोई चार्जेज देय नहीं होगा।
- 9. दरें क्षेत्रीय कार्यालय, रा.रा.प्र.नि.म. बालोतरा जिला बाड़मेर के स्टोर तक एफ.ओ.आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु केन्द्रीय/राज्य बिक्री कर/जीएसटी को अलग से दिखाया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के पेकिंग चार्ज, परिवहन भाडें/शुल्क/प्रभारों का भुगतान उपापन संस्था द्वारा नहीं किया जावेगा।

NIB 03/2022-23

क्षेत्रीय ऑं कारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

- 10. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के परिवहन के मार्ग में टूट-फूट या कम होने की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी। सामग्री सही हालत में एवं अनुमोदित नमूनों के अनुसार होने पर ही स्वीकार की जावेगी। निरीक्षण के दौरान रसायन मानक के अनुरूप व समुचित क्वालिटी का नहीं होने पर उसे विक्रेता की लागत पर बदला जावेगा अन्यथा क्षतिपूर्ति राशि RTPP Rules and Act अनुसार वसूली जावेगी।
- 11. बोलीदाता ये सुनिश्चित करेगा कि उपाप्त की जाने वाली रसायन सामग्री की सुपुर्दगी करते समय निर्धारित एक्सपायरी का कम से कम 75 प्रतिशत अथवा एक वर्ष की अविध में जो भी सप्लाई की गयी वस्तुओं का निरिक्षण कर लिया हो या उन्हे अनुमोदित कर दिया हो, कम से कम निर्धारित एक्सपायरी का कम से कम 75 प्रतिशत अथवा एक वर्ष की अविध में से जो भी अधिक हो उक्त वस्तुओं को उपरोक्त विवरण गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे एक्सपायर हो गये तो उस संबंध में क्रेताधिकारी का निर्णय अंतिम व परिणामी होगा।
- 12. क्षेत्रीय प्रयोगशाला द्वारा बोली की शर्तों के अनुसार आपुर्ति उसी मेक / पेकिंग / ब्राण्ड एवं निर्दिष्ट स्पेशिफिकेशन के अनुसार देनी होगी। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अस्वीकार्य होगा। दी गई आपूर्ति आवश्यकता के अनुरूप है, का निर्धारण कार्यालयध्यक्ष / प्रयोगशाला प्रभारी द्वारा ही किया जावेगा।
- 13. किसी भी रसायन सामग्री का उपापन किये जाने के उपरांत संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही बिल का भुगतान किया जा सकेगा। किसी भी विवादास्पद रसायन आपूर्ति के लिये कार्यालयध्यक्ष / प्रयोगशाला प्रभारी की सहमित पर RTPP Rules अनुसार भुगतान में कटौती की जा सकेगी।
- 14. रसायन सामग्री की मात्रा अनुमानित है जिसे आवश्यकतानुसार घटाया / बढाया जा सकेगा।
- 15. रसायन सही हालात में आदेश के मुताबिक प्राप्त होने पर रेखाकिंत चैक के माध्यम से भुगतान कर दिया जावेगा, जो संबंधित फर्म के बिल के आधार पर ही देय होगा।
- 16. रसायन सामग्री के उपापन के संबंध में राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों अथवा राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश / निर्देश प्रभावी रहेंगे के अतंर्गत ही रसायन सामग्री का उपापन कर सकेगा।
- 17. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत मानक घोषणा पत्र में उल्लेखित शर्तो अनुसार कार्यवाही की जावेगी-
 - अ. जब बोलीदाता बोली खोले जाने के पश्चात् परन्तु बोली की स्वीकृति से पूर्व बोली वापस लेता हो या प्रस्ताव को रूपान्तरित कर देता हो।
 - ब. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय से अनुबंध नहीं करवाता हो।
 - स. बोलीदाता को आदेश दिये जाने पर भी निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाये।
- 18. बोलीदाता द्वारा दरों को अंको व शब्दों दोनो में अंकित करना होगा।
- 19. बोलीदाता को बोली दो भागों में तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली के रूप में भरकर प्रस्तुत करनी होगी।
 - (अ) एक लिफाफा तकनीकी बोली का होगा। इसमें तकनीकी बोली प्रपन्न में वर्णित सभी बिन्दुओं को भरकर मय दस्तावेजों को एक लिफाफें में, जिस पर तकनीकी बोली अंकित कर

NIB 03/2022-23

देशिय अिट्टारी राजस्थान राज्य-प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

लिफाफे पर बोलीदाता का नाम मय पता और फोन नं. अंकित कर प्रस्तुत करना होगा एवं लिफाफे पर तकनीकी बोली लिखना अनिवार्य होगा।

- (ब) दूसरा लिफाफा वित्तीय बोली से संबन्धित होगा। जिसमें बोलीदाता द्वारा दर संविदा स्वयं भरी जानी चाहिए। दरों में किसी भी प्रकार की काट—छांट या वाईटनर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय बोली से संबंधित समस्त दस्तावेज एक लिफाफे में डालकर सीलबंद कर फर्म का नाम, पता, मोबाईल व वित्तीय बोली अंकित करना होगा।
- (स) उपरोक्त दोनों लिफाफे तीसरे बड़े लिफाफे में डालकर बोलीदाता की फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नं तथा "दर संविदा आधार पर Chemicals/Lab wares/Glassware & General Articles items की आपूर्ति हेतु बोली" अंकित कर कार्यालय में निर्धारित तिथि व समय पर जमा करवानी होगी। तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
- 20. तकनीकी बोली में प्रत्येक कॉलम व चाही गई सूचना भरा होना आवश्यक है तथा दर्शाये गये समस्त दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होने चाहिए। अपूर्णता की स्थिति में वित्तीय बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 21. बोली में वर्णित दरें अनुबंध करने के लिये आमंत्रित की जा रही है। आवश्यक नहीं कि बताई गई सामग्री/रसायनों का उपापन किया ही जावेगा। मात्रा का अंकन अनुमान पर आधारित है। क्षेत्रीय कार्यालय/प्रयोगशाला की आवश्यकतानुसार ही रसायनों/सामग्री का क्रय किया जावेगा। आदेश मिलने के पश्चात् सामग्री की आपूर्ति आदेश तिथि से 10 दिवस में किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा स्थिति में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं जी.एफ.एण्ड.आर. के अनुसार नियमानुसार विलम्बित शास्ति ली जावेगी।
- 22. सफल बोलीदाता द्वारा संविदा की किन्ही बातों का उल्लंघन करने / सन्तोषजनक आपूर्ति नहीं करने पर दर संविदा को निरस्त किया जा सकेगा।
- 23. परिनिर्धारित नुकसान, कम सप्लाई, टूट-फूट हुई वस्तुओं की राशि की वसूली संबंधित फर्म द्वारा दिये गये बिल में से की जावेगी। यदि वसूली संभव नहीं हो तो नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
- 24. सफल बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी भी सारवान भाग को किसी अन्य फर्म / एजेन्सी को नहीं सौपेगा या सबलेट नहीं करेगा।
- 25. बोलीदाता फर्म को अपना आयकर खाता संख्या एवं फर्म का जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 26. बोली प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग ना करें, यदि हो तो उस पर लघु हस्ताक्षर मय दिनांक होने चाहिए। हालांकि वित्तीय प्रपत्र में कटिंग/ओवरराईटिंग किसी भी हाल में अस्वीकार्य ही रहेगी।
- 27. बोलीदाता द्वारा प्रत्येक प्रपत्र में हस्ताक्षर किये हुए होने चाहिये जो इस बात को दर्शायेंगे कि बोलीदाता द्वारा प्रत्येक प्रपत्र को देख—समझ लिया गया है एवं स्वीकार है। समस्त सलंग्न बातों को ध्यान पूर्वक पढ लिया गया है तत्पश्चात् ही बोली भरी गई है, ऐसा सुनिश्चित किया जाना होगा। बोली प्रपत्र को बॉल पेन से ही भरा जावे एवं निर्धारित समय को कार्यालय में पहुच जावे। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

NIB 03/2022-23

द्विजित्य अर्ग कारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा

क्षेत्रीय कार्यालय राज्स्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल



जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

- 28. अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है। वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन में कीमत ही कसौटी ना होकर संस्थान के हित मे सर्वाधिक उपयुक्त बोली का ध्यान रखा जावेगा। किसी भी बोली अथवा उसेके किसी भी भाग को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा के पास सुरक्षित रहेगा।
- 29. बोली स्वीकृत होने पर सफल बोलीदाता को बोली की अनुमानित वार्षिक लागत राशि की 2.5% कार्य सम्पादन प्रतिभूति का डी० डी० / बैंकर चैक जो कि क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भुगतान योग्य बालोतरा के नाम का देय हो जमा करवाना होगा। जिसको पुनः लौटाये जाने पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
- 30. बोली स्वीकृत होने की स्थिति में सफल बोलीदाता को 500/— रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार करार/अनुबंध निष्पादित करना होगा। अनुबंध/स्टाम्प आदि का खर्चों बोलीदाता द्वारा संदत्त किया जावेगा। अनुबंध की प्रतिलिपि बोलीदाता को दी जावेगी।
- 31. बोलीयां खोले जाने के तीन माह तक की अवधि हेतु विधि मान्य रहेगी।
- 32. दर संविदा की दरें स्वीकृति आदेश दिनांक से 01 वर्ष तक के लिये मान्य रहेगी।
- 33. उपापन से सम्बंधित समस्त अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा जिला बाड़मेर के पास सुरक्षित है। विधिक कार्यवाही यदि संस्थित की जानी आवश्यक हो अथवा विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्र बालोतरा ही होगा।
- 34. उपरोक्त बोली शर्तो के अतिरिक्त बोलीदाता RTPP Act 2012, RTPP Rules 2013 एवं GF & AR में उल्लेखित समस्त शर्तो एवं नियमों की पालना के लिये बाध्य होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर नाम मय सील

देशिय आर्-कारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g. disclose conflict of interest, if any; and
- h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

NIB 03/2022-23

क्षेत्रीय अर्ग-कारी राजस्थान राज्य प्रदूषण निर्वत्रण मण्डल बालोतरा

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications <u>Declaration</u> by the Bidder

- 1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- 2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

D	0	+	0	
$\mathbf{\nu}$	a	ι	C	

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

दिलीए और कारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा

रा जसोल फांटा

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Member Secretary, RSPCB, Jaipur The designation and address of the Second Appellate Authority is Chairman, RSPCB, Jaipur

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

NIB 03/2022-23



Page 13 of

य कार्यालय



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाडमेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process:
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee. 213 The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,- (i) hear all the parties to appeal present before him; and (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

NIB 03/2022-23



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

A	ppeal Noof
В	efore the (First / Second Appellate Authority)
1.	Particulars of appellant:
	(i) Name of the appellant:
	(ii) Official address, if any:
	(iii)Residential address:
2.	Name and address of the respondent(s):
	(i)
	(ii)
3.	Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer /
	authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or
	omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which
	the appellant is aggrieved:
4.	If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal
	address of the representative:
5.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6.	Grounds of appeal:
	(Supported by an affidavit)
7.	Prayer:
Dla	
	cete
App	pellant's Signature

NIB 03/2022-23

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

NIB 03/2022-23

क्षेत्रीय आ कारी गजस्थान राज्य प्रदूषण निषंत्रण मण्डल

Raiasthan

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

द्वेत्रीय अर्ट कारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure: E

Declaration related to Blacklisted Firm

(नोटरी द्वारा सत्यापित 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
मैं / हम पुत्र श्री
पदनाम (प्रोपराईट/पार्टनर/अधिकृत प्रतिनिधि)
(फर्म का नाम)
(फर्म का पता)
यह शपथपूर्वक घोषणा करते है हमारी
फर्म मै0 को भारत में कही भी ब्लैक
लिस्टेड नही किया गया है।



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure: F

FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the NIB 03/2022-23 (Rate contract for supply of Chemicals/Lab wares/Glassware & General Articles items) and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/us at the destinations specificed by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders of concerned head of the office from time to time.

I/We will furnish the prescribed <u>performance security amount of 2.5 %</u> on the total value of the cost of the quantity for supply, within seven (7) days of the acceptance of my/our Bid and <u>enter into agreement</u>.

I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/our Bid Security stand forfeited if I/we fail to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within the stipulated time.

I/We will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposited or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

दिन्नीय अर्ग कारी गजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मृण्डुल बालोतरा

SIGNATURE OF THE BIDDER NAME:
ADDRESS:

Rajasthan

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure: G

Fall Clause Certificate

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि हमने NIB 03/2022-23 (Rate contract for supply of Chemicals/Lab wares/Glassware & General Articles items) में चाही गई सामग्री / सेवा की जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत प्रश्नगत बोली के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस बोली में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अथवा अन्य स्वायतशासी संस्था आदि को यदि आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही क्षेत्रीय अधिकारी,रा.प्र.नि.म. बालोतरा से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमित प्रदान करता हूँ।

क्षेत्रीय आं - कारी राजस्थान सन्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure: H

(फर्म के लैटरपैड पर) बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते है कि मैनें / हमने NIB 03/2022-23 (Rate contract for supply of Chemicals/Lab wares/Glassware & General Articles items) के प्रत्युत्तर में जिन रसायन सामग्री के लिये बोली दी ही, उनका / उनके मैं / हम बोनाफाइड विनिर्माता / प्राधिकृत थोक विक्रेता / प्राधिकृत डीलर / प्राधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स हूँ ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर दिया जावे तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जावे।

दिन्नीय और कारी राजस्थान राज्य प्रदूषण निरंत्रण मण्डल बालोतरा



क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure: I

UNDERTAKING TO BE SUBMITTED BY PRINCIPAL MANUFACTURER

(In case of heavy equipment/ machinery where tender is submitted in the capacity of Authorized Distributor/ Dealer)

Date:-

This chemicals/equipment is warrantied for at least 01 years from the date of manufacturing/installation/ Demonstration and he shall during the warranty period replace the part if any, or manufacturing defect if found during the above period so as to make machinery/ equipment operative & in perfect condition.

In case of change of authorized distributor/ Dealer/ Indian Agent we will inform the Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Balotra, District-Barmer accordingly. The new dealer / distributor will be responsible for after sales services and annual maintenance & repairs contract as above. In case of failure of tenderer of new dealer we will be directly responsible for the after sale service of the equipment as items & conditions of the tender/ contract.

SIGNATURE OF PRINCIPAL MANUFACTURE

Note:

(This undertaking should be typed & signed by Principal Manufacturer on his Original Letter Pad)

NIB 03/2022-23

Rejesthen

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

जसोल फांटा, जे.वी.वी.एन.एल कार्यालय के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर Website http://www.environment.rajasthan.gov.in, Email ro.balotara@gmail.com

Annexure: J

(फर्म के लैटरपैड पर) बोलीदाता द्वारा घोषणा

हम/मुझे क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा जिला बाड़मेर की NIB 03/2022-23 (Rate contract for supply of Chemicals/Lab wares/Glassware & General Articles items) से संबंधित रसायन सामग्री की आपूर्ति करने की शर्ते स्वीकार्य हैं। मेरे द्वारा दी गई कोई अतिरिक्त शर्त स्वीकार कराने के लिये मैं/हम विभाग को बाध्य नहीं करूंगा/करेंगे एवं विभाग द्वारा दिये गये निदेशों की कठोरता से अनुपालना करूंगा।

मै/हम घोषणा करते है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गयी सूचना सत्य है। यदि असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरे/मेरी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है रद्द कर दिया जावे।

हमें / मुझे क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा द्वारा दी गई निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते स्वीकार्य है। हम RTPP Act 2012, RTPP Rules 2013 एवं GF & AR में उल्लेखित समस्त शर्तो एवं नियमों की पालना के लिये बाध्य रहेगे।

देशिए और कारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बालोतरा